न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3984–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.8.14 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 332/बी–103/धारा 33/13–14.

I Media Corp Limitied
a company incorporated under the Companies
Act, 1956 having its Registered Office at
6, Dwarka Sadan, Press Complex,
M.P.Nagar, Bhopal- 462011

---- Applicant

Versus

1. State of M.P.
   Through the Collector Jabalpur
2. Collector of stamps
   District Jabalpur

---- Respondent

श्री राहुल दिवाकर, अधिवक्ता, आवेदक ।

आदेश

(आज दिनांक 18 – 09 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अन्तर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 332/बी–103/धारा 33/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28–8–14 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कंपनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के डिमर्जस से संबंधित आदेश दिनांक 27–3–14 की छायाप्रति तथा संपत्ति के संबंध में

शपथपत्र प्रस्तुत कर उचित स्टाम्प डयूटी का आदेश पारित किये जाने निवेदन किया । उक्त आवेदन परसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आलोच्य आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक कंपनी की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों तथा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत होकर 2 कंपनियों के संविलयन के संबंध में है जो आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा आई माडिया कार्प लिमिटेड व डी.बी. कार्प लिमिटेड का डिर्मजर की अनुमति दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च नयायालय के आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक – (अ) "Scheme For Arrangement of Demarger " का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि उक्त स्कीम के तहत अचल संपत्ति का अंतरण नहीं हो रहा है.केवल शेयर हस्तांतरण हो रहे हैं और इसकी पुष्टि में उन्होंने आवेदक कंपनी के अधिकृत श्री सतीश तिवारी के शपथपत्र का उल्लेख किया है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि शेयरों के साथ–साथ Assets and Liabilities का भी अंतरण डिमर्जर के फलस्वरूप हो रहा है । जिस पर स्टाम्प एक्ट की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 22 के परंतुक (क) के अनुसार 0.7% की दर से मुद्रांक शुल्क देय है और उस आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने मुद्रांक शुल्क 77,72,342/– तथा शास्ती रूपये 7,658/– देय मानते हुए आदेश पारित किया है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर